संख्या- 32 /2019 / 55 /35-3-2019-1(42) /2017

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-श्रावस्ती हेतु विद्युतीकरण कार्य की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-श्रावस्ती हेतु शासनादेश सं0 21/2018/49/35-3-2018-1(42)/2017, दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा विद्युतीकरण कार्य हेतु **रू. 6.03 (रू. छः लाख तीन हजार मात्र)** की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 3.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतददवारा निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय, राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में **रू. 2.41 लाख (रू. दो लाख इक्तालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. में)

विकास खंड का नाम	क्र0 सं0	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कार्यदायी संस्था-विदयुत विभाग			
जमुनहा	1	ग्राम कथरामाफी में विद्युतीकरण कार्य	6.03	3.62	2.41
		योग	**6.03**	**3.62**	**2.41**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण विदयुतीकरण कार्यहेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम -106-ग्रामीण विदयुतीकरण-03-ग्रामीण विदयुतीकरण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-234/दस-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 32 /2019/55(1)/ 35-3-2019-1(42)/2017-तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,उ0 प्र0 शासन ।

2- प्रमुख सचिव,ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन ।

3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।

4- महालेखाकार, प्रथम(लेखाएवं हकदारी (इलाहाबाद,उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय (इलाहाबाद ।

5- निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ ऊर्जा अनुभाग-1 ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।